न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 रिव्यू रिव्यू–3300/PBR/15

छविराम पुत्र कल्याण सिंह निवासी धुसगवां, तहसील व जिला ग्वालियर ———————प्रार्थी

बनाम

1– भग्गोबाई पत्नी चकपान निवासी धसगुंवा, तहसील व जिला ग्वालियर हाल निवासी अधियारी तहसील मौ जिला भिण्ड

2– वैजन्ती बाई पत्नी भरेसिंह निवासी मिलकपटटी वार्ड क.11 मौ जिला भिण्ड

3– श्रीराम पुत्र करन सिंह बडी माता के पास मौ जिला भिण्ड म.प्र. ———प्रतिप्रार्थीगण

पुर्नविलोकन आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा– 51 म.प्र.भू राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 2.9.2015 पारित द्वारा अध्यक्ष राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर प्रकरण कमांक 2577–पी.वी.आर./2015

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3300–पीबीआर/2015 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–4–17	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2577–पीबीआर/2015 में पारित आदेश दिनांक 2–9–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रिव्यु आवेदन पर विचार किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । **अध्यक्ष**	